न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, जैसलमेर
पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैया लाल स्वामी आर.ए. एस

प्रकरण अपील संख्या 06/2014

अपीलाण्ट
नारायण सिंह पुत्र श्री सिमरथसिंह
जाति राजपूत, निवासी ग्राम मूलाणा
तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर

रेस्पोण्डेण्ट
राजस्थान सरकार जरिये
नायब तहसीलदार फतेहगढ

उपस्थित :–श्री केसर सिंह, अधिवक्ता अपीलाण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0भू0रा0 अधि0 1956 विरूद्ध निर्णय नामान्तरकरण सं. 173 दिनांक 30.11.1979

–:: आदेश ::–

दिनांकः– 30.11.2017

अपीलाण्ट नारायण सिंह पुत्र श्री सिमरथसिंह जाति राजपूत, निवासी ग्राम मूलाणा तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर की ओर से यह अपील मय सशपथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम रेस्पोण्डेण्ट राज सरकार जरिए नायब तहसीलदार फतेहगढ के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 भू0रा0अधि 1956 के तहत नामान्तरकरण सं. 173 दिनांक 30.11.1979 वाके ग्राम मूलाणा तहसील फतेहगढ में दिनांक 30.11.1979 को पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत कर मामलें में पारित .निर्णय को अपास्त करने बाबत प्रस्तुत की गयी।

अपीलांट ने अपील मीमों में अभिकथित किया कि अपीलांट पाक विस्थापित शरणार्थी है तथा मौजा मूलाणा निवासी है तथा अपीलांट भूमिहीन है तथा अपीलांट के पाक से विस्थापित होकर भारत आने पर राजस्थान सरकार द्वारा पाक विस्थापितों के लिए बारानी भूमि के आवंटन हेतु आदेश निकाले जिस पर अपीलांट द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर, जैसलमेर को आवंटन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर हल्का पटवारी मूलाणा द्वारा रिर्पोट प्रस्तुत की जिस पर आवंटन कमेटी की सिफारिश कर शरणार्थी आवंटन जिलाधीश महोदय के कमशः 561 दिनांक 09.05.1979 के द्वारा मौजा मूलाणा के वर्तमान खसरा संख्या 379 में रकबा 75–00 बीघा किस्म बंजड प्रार्थी अजीलांट नारायणसिंह पुत्र श्री सिमरथसिंह जाति राजपूत के नाम से आवंटन किया गया जिस पर हल्का पटवारी मूलाणा द्वारा प्रार्थी को मौके पर वास्तविक व भौतिक कब्जा देकर 5/– सनद फीस वसूल की गई। उक्त आवंटन की राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु नामान्तरण तहसीलदार जैसलमेर द्वारा दिनांक 08.11.1979 को उक्त नामान्तरण संख्या 163 स्वीकृत किया गया तथा नामान्तरण संख्या 173 श्रीमान जिलाध्यक्ष महोदय के आदेश कमांक 2381 दिनांक 25.10.1979 के तहत आवंटन निरस्त किये जाने पर हल्का पटवारी मूलाणा द्वारा दिनांक 29.11.1979 को अलावा जोत काबिल काश्त का भरा गया तथा राजस्व निरीक्षक फतेहगढ द्वारा दिनांक 29.11.1979 को जांच की तथा अपने हस्ताक्षर किये तथा नायब तहसीलदार जैसलमेर द्वारा दिनांक 30.11.1979 को उक्त नामान्तरण मौजा मूलाणा वर्तमान खसरा संख्या 379 में रकबा 75–00 बीघा सिवायचक अलावा जोत काबिल काश्त पारित किया जिससे क्षुब्ध होकर उक्त अपील विभिन्न कारणों एवं आधारो पर मान्य न्यायालय में प्रस्तुत है।

1. यह है कि, उक्त आलोच्य आदेश विधि विरूद्ध, कानून विरूद्ध तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विरूद्ध होने से काबिल अपास्त के योग्य है।

2. यह है कि श्रीमान जिलाधीश महोदय का आदेश कमांक 2381 दिनांक 25.10.1979 आवंटन निरस्ती जारी किया गया है वह न्यायिक निर्णय अर्थात् आदेश नही है केवल प्रशासनिक आदेश है। प्रशासनिक आदेश के द्वारा आवंटन व नामान्तरकरण संख्या 173 निरस्त नहीं किया जा सकता है। इस कारण से उक्त प्रशासनिक आदेश काबिल निरस्ती योग्य है।

3. यह है कि, नामान्तरण संख्या 173 नायब तहसीलदार जैसलमेर द्वारा स्वीकृत किये जाने से पूर्व प्रार्थी/अपीलांट को सक्षम न्यायालय में सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है और केवल मात्र प्रशासनिक आदेश के आधार पर उक्त नामान्तरण संख्या 173 स्वीकृत किया गया है जो काबिल निरस्ती योग्य है, क्योंकि सक्षम न्यायालय में सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा सक्षम न्यायालय में अपील किये बिना तथा दोनों पक्षो को सुनकर निर्णय पारित नहीं किया गया है जो विधि विरूद्ध, कानून विरूद्ध तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से काबिल निरस्ती योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
जैसलमेर

4. यह है कि, श्रीमान जिलाधीश महोदय का आदेश कमांक 2381 दिनांक 25.10.1979 आवंटन निरस्ती का मात्र प्रशासनिक आदेश है आवंटन निरस्ती हेतु प्रार्थना पत्र 14(4) राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा रोपण नियम 1970 के तहत सक्षम न्यायालय में पेश किया जाकर दोनों पक्षों को मैरिट पर सुना जाकर आवंटन निरस्त करने का कानूनन प्रावधान हैं जिसकी पालना नहीं करने श्रीमान जिलाधीश महोदय जैसलमेर द्वारा मात्र प्रशासनिक आदेश प्रार्थी/अपीलांट को बिना जानकारी सुनवाई का अवसर, नोटिस दिये बिना जारी किया है जो Without Jurdication के पारित किया है जो काबिल निरस्ती योग्य है।

5. यह है कि, श्रीमान जिलाधीश महोदय जैसलमेर का आदेश कंमाक 2381 दिनांक 25.10.1979 आवंटन निरस्ती मात्र प्रशासनिक आदेश है, जो Without Jurdication के पारित किया है, न्यायिक आदेश नहीं है जिसमे म्याद की अवधि निश्चित नहीं है। उक्त आदेश Null and Void है जिसेकिसी भी समय जानकारी होने पर निरस्त किया जा सकता है। अपीलांट को हल्का पटवारी मूलाणा द्वारा जानकारी देने पर नकलें प्राप्त कर अपने अधिवक्ता से संपर्क कर उक्त अपील माननीय न्यायालय में पेश कर रहा है तथा म्याद को निरस्त करने के लिये अलग से धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहे है।

6. यह है कि, अपीलांट वक्त आवंटन से लेकर आज दिन तक मौके पर काबिज काश्त है तथा लाखों रूपये खर्च कर उक्त आराजी भूमि को उपयोगी एवं उपभोगी बनाया है तथा अपीलांट की कमाई का व आश्रित होने का एक मात्र साधन है। अपीलांट भूमिहीन है, अपीलांट के पास अन्य कोई खातेदारी भूमि नहीं है, इसलिए नामान्तरण संख्या 173 को निरस्त फरमाया जावे।

7. यह है कि, श्रीमान जिलाधीश महोदय के आदेश कमांक 2381 दिनांक 25.10.1979 के तहत आवंटन निरस्ती की नकल जानकारी प्राप्त होने पर राजस्व रेकर्ड से व भू-अभिलेख शाखा जैसलमेर से आवेदन पेश कर प्राप्त करनी चाही परंतु श्रीमान जिलाधीश के आदेश कमांक 2381 दिनांक 25.10.1979 प्राप्त नहीं हुआ न ही नामान्तरण संख्या 173 के साथ लगा हुआ है इस कारण से उक्त आदेश को मान्य न्यायालय द्वारा तलब किया जाये ताकि मान्य न्यायालय व अपीलांट को उक्त आदेश की सही जानकारी प्राप्त हो सकें।

इस प्रकार अपीलांट ने अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा मूलाणा के वर्तमान संख्या 379 में रकबा 75-00 बीघा किस्म बंजड नामान्तरण संख्या 173 पारित दिनांक 30.11.1979 को काबिल निरस्त फरमाया जावें तथा अपीलांट के पक्ष में राजस्व रेकर्ड में खातेदारी दर्ज करने का न्यायोचित आदेश पारित कराया जावें।

अपीलाण्ट की अपील दर्ज की जाकर रेस्पोण्डेण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड़ प्राप्त किया गया। पैरोकार सरकार तहसीलदार फतेहगढ ने अपीलार्थी के अपील मीमों के कथनों को अस्वीकार करते हुए नामांतकरण की कार्यवाही विधिनुसार किया जाना अवगत कराया एवं अपीलांट द्वारा पेश अपील के तथ्य सही नहीं होने से अपील अपीलांट सव्यय खारीज किये जाने का अनुरोध किया।

उभय पक्ष की बहस श्रवण की गयी बहस के दौरान वकील अपीलाण्ट ने अपने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपील स्वीकार करने की इस्तदुआ की एवं निवेदन किया कि मौजा मूलाणा के वर्तमान संख्या 379 में रकबा 75-00 बीघा किस्म बंजड नामान्तरण संख्या 173 पारित दिनांक 30.11.1979 को काबिल निरस्त फरमाया जावें तथा अपीलांट के पक्ष में राजस्व रेकर्ड में खातेदारी दर्ज करने का आदेश किया जावे।

जवाब में पेरोकार सरकार ने अपील मीमो तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कहा कि जिस रुप में तथ्य कथन किए गए है वे तथ्यों के विपरित होने से अस्वीकार है। विवादित नामान्तरकरण संख्या 173 दिनांक 30.11. 1979 कार्यालय जिलाधीश महोदय का आदेश कमांक 2381 दिनांक 25.10.1979 आदेशानुसार भरा गया जो सही है। प्रश्नगत नामान्तरकरण विधि सम्मत एवं पोषणीय है। अपील का कोई युक्तियुक्त आधार नही हे।अपील समयावधि से बाधित है। 35 वर्ष बाद अपील समयावधि के बिन्दु पर ही खारिज योग्य ठहरती है। अपीलाण्ट नामान्तरकरण अपील के जरिये जिला कलक्टर के आदेश के क्रियान्विति में भरे नामानतरकरण को निरस्त करवाना चाहता है, जो कि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही है। इस प्रकार अपील मान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार से बाहर है। अपीलाण्ट्स अपने अपील मीमो के तथ्यों को साबित करने में असमर्थ रहा है, अपीलाण्ट्स को यह अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नही है न ही इस अपील को प्रस्तुत करने हेतु माननीय न्यायालय से अनुमति ली है। इस प्रकार अपीलाण्ट्स की अपील पोषणीय नही होने से खारिज योग्य है। तद्नुसार अपील अपीलाण्ट खारिज की जाये।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया गया, जहां तक अपील को मियाद में शुमार करने का प्रश्न है अपीलाण्ट्स ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मयशपथ पत्र प्रस्तुत किया है विभिन्न न्यायिक निर्णयों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया हुआ है कि सदभाविक विलम्ब होने पर प्रकरण को मियाद के बिन्दु पर तकनीकी आधार पर निरस्त करने की बजाय गुणावगुण पर निर्णित करना ही ज्यादा उचित है अतः अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र के तथ्यों के मध्येनजर अपीलाण्ट्स द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को सदभावी माना जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी ... अपील मियाद शुमार मानी जाती है। प्रकरण का गुणावगुण पर विवेचन करने से स्पष्ट

है कि प्रश्नगत विवादित नामान्तरकरण संख्या 173 दिनांक 30.11.1979 कार्यालय जिलाधीश महोदय का आदेश कमांक 2381 दिनांक 25.10.1979 आदेशानुसार भरा गया है। अपीलाण्ट्स का मुख्य कथन यह है कि जिलाधीश के जिस आदेश की पालना में यह नामान्तकरण भरा गया है वह आदेश विधि सम्मत नही है एवं जिलाधीश को इस प्रकार से आदेश पारित करने का कानूनी अधिकार नहीं था यदि तर्क की दृष्टि से ऐसा मान भी लिया जाये तो भी अपीलाण्ट को इस अपील के जरिये यह बिन्दु उठाकर इस बाबत अधिनिर्णय कराने का अधिकार प्राप्त नही है। प्रस्तुत यह नामान्तरकरण जिला कलक्टर के आदेश के अनुसार भरा गया है। इस नामान्तरकरण अपील में केवल यह बिन्दु विचारणीय है कि क्या यह नामान्तरकरण जिला कलक्टर के आदेश के अनुरुप है अथवा नही। अपीलाण्ट्स ने अपने अपील मीमो में कहीं पर भी यह नही कहा है कि यह नामान्तरकरण जिला कलक्टर के आदेश के अनुरुप नही है। उनके द्वारा जिला कलक्टर के आदेश की वैधता को चुनौती दी जा रही है। जो कि इस नामान्तरकरण अपील के जरिये संभव नही है। जिला कलक्टर के आदेश के वैधता को निर्धारण करना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही है एवं जिला कलक्टर के आदेश के विरूद्ध नामान्तरणकरण अपील के जरिये अपीलाण्ट्स कोई राहत प्राप्त नही कर सकता है पेरोकार सरकार ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 173 जिलाधीश जैसलमेर के आदेश अनुंसरण में भरा व स्वीकृत किया गया है। जिलाधीश जैसलमेर के प्रश्नगत आदेश जिसके अनुसरण में प्रश्नगत नामान्तरकरण भरा व स्वीकार किया गया है को इस नामान्तरकरण अपील के जरिए चुनौती का कोई कानूनी आधार नही है। यदि अपीलाण्ट्स को कलक्टर कार्यालय के आदेश से कोई हकतलफी है तो उसे सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिये। उसे प्रस्तुत इस अपील के जरिये कोई राहत नही मिल सकती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिला कलक्टर के आदेश की पालना में भरा गया है जिसमे कोई हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाईश नही है। तदनुसार अपीलअपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील खारिज योग्य है

अतः अपील अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण सं 173 वाके ग्राम मूलाणा में दिनांक 30.11.1979 को पारित निर्णय यथावत रखा जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील अभिलेखागार में जमा हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तत्काल वापस लौटायी जाये।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2017 को सरे इजलास सुनाया गया एवं इसे मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से अधिप्रमाणित किया गया।

(कन्हैयालाल स्वामी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
जैसलमेर